भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 395

16 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

बेंगलुरू में एआरएचसी हेतु सरकारी भवनों का उपयोग

395 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बेंगलुरू शहर में प्रवासी कामगारों/शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना (एआरएचसी) के तहत उपयोग किए जा रहे सरकारी भवन कौन-कौन से हैं;

(ख) बेंगलुरू में कितने नए एएचआरसी निर्माण की शुरूआत की गई है;

(ग) बेंगलुरू शहर में प्रत्येक परिसर में रह रहे प्रवासी कामगारों /शहरी गरीबों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे परिसरों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त सामाजिक दूरी के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): किफायती किराया आवासीय परिसर (एआरएचसी) योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत एक उप-योजना है, जिसे शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद दिनांक 31.07.2020 को शुरू किया गया है। इसके परिचालन दिशा-निर्देश अन्य कार्यान्वयन ढांचे के साथ योजना और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित किए गए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर करने के लिए करार ज्ञापन (एमओए) मसौदा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित किया गया है। कर्नाटक उन 17 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में से एक है, जो इस योजना को लागू करने के लिए पहले ही करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस समय बैंगलोर शहर में या अन्य किसी स्थान पर कोई एआरएचसी प्रचालनरत नहीं है।

तथापि, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने उपलब्ध सरकारी वित्तपोषित आवासीय परिसरों को एआरएचसी में बदलने के लिए मरम्मत/ रेट्रोफिट, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर रियायतकर्ता का चयन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। सार्वजनिक / निजी निकायों के पास उपलब्ध खाली जगहों का उपयोग एआरएचसीएस के तौर पर करने के लिए एमओए हस्ताक्षरित होने के बाद कार्रवाई शुरु की जाएगी ।

*****